

आदेश की संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

**न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा**

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-117/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्री बुधन चौधरी — विक्रेता  
प्रति

श्री मनोज कुमार — क्रेता

**आदेश**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री बुधन चौधरी, पिता-स्व० शिवप्रसाद चौधरी, ग्राम-फरठीया, पोस्ट-हुर, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री मनोज कुमार, पिता-श्री कामेश्वर पाल, ग्राम-गोसांग, पोस्ट-कुशहा, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 405/दिनांक 01.12.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।


प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के परदादा मनोरथ मल्लाह के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह सुरिया (पिछड़ा वर्ग) क्रेता जाति के गडेरी (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री बुधन चौधरी, पिता-स्व० शिवप्रसाद चौधरी, ग्राम-फरठीया, पोस्ट-हुर, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री मनोज कुमार, पिता-श्री कामेश्वर पाल, ग्राम-गोसांग, पोस्ट-कुशहा, थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।


**भूमि का विवरण:-**

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
फरठीया	282	128	528	0.05	उ०-रामवृक्ष चौधरी, द०-रामवृक्ष चौधरी, पू०-रास्ता 10 फिट विक्रेता द्वारा छोड़ा गया, प०-मुनेश चौधरी,
कुल रकबा:-				0.05	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।  
लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता,  
गढ़वा।



अपर समाहर्ता,  
गढ़वा।